	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 1, शुक्रवार शाके 1934– जून 22, 2012	Asadha 1, Friday, Saka 1934-June 22, 2012

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाऐं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन नीति–2012

जयपुर, फरवरी 15, 2012

1. भूमिका :

1. प्रदेश में विशेष योग्यजनो के कल्याणार्थ कई प्रकार की योजनाऐं एवं क्रियाकलाप संचालित किए जा रहे है।
2. इन सभी कार्यों एवं गतिविधियों को समग्र रूप से करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2010–11 में विशेष योग्यजन कल्याणार्थ राज्य विशेष योग्यजन नीति बनाए जाने की घोषणा की गई, जिससे विशेष योग्यजनो का सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हो सके एवं यह समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

2. राज्य विशेष योग्यजन नीति की प्रमुख नीतिगत रूपरेखा :

1. विशेष योग्यजनो को समान अवसर उपलब्ध कराना।
2. विशेष योग्यजनो को पूर्ण स्वाधीनता एवं स्वाभिमान प्रदान करना।
3. सामुदायिक उत्तरदायित्व एवं सहभागिता सुनिश्चित करना।
4. विशेष योग्यजनो के सामाजिक एवं आर्थिक पुर्नवास में नवाचार करना।

3. राज्य विशेष योग्यजन नीति का विधिक प्रारूप :

राज्य विशेष योग्यजन नीति में अब तक विद्यमान प्रावधानों को सम्मिलित

करते हुए इसकी विधिक रूपरेखा तैयार की गई है। इस नीति में निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों एवं सम्मेलनों के उपबंधों को सम्मिलित किया है :—

1. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
2. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुविशेष योग्यजनताग्रस्त व्यक्ति कल्याण अधिनियम, 1999
3. भारतीय पुर्नवास परिषद अधिनियम, 1992 और संशोधन अधिनियम, 2000
4. संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य।
5. विशेष योग्यजन व्यक्तियों का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 2007
6. राजस्थान निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011

4. विशेष योग्यजन नीति के मूल आधार :—

विशेष योग्यजन नीति के मूल आधार विशेष योग्यजन व्यक्तियों की क्षमताओं में अभिवृद्धि करना है, जिनमें निम्न अवधारणाओं को प्रमुखता प्रदान की गई है :—

1. विकासात्मक अवधारणा के तहत विशेष योग्यजन व्यक्तियों का विकास, क्षमता और व्यक्तिगत स्वायतत्ता पर बल देते हुए इनके अधिकारों को प्रोन्नत एवं सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होगा।
2. उद्धारपरक अवधारणा के तहत विशेष योग्यजन व्यक्तियों की क्षनताओं का सम्मान करते हुए इनके कार्य सामर्थ्य के स्तरों के अनुसार समाज के विभिन्न पहलुओं के तहत इनके अधिकारों को सुरक्षित करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी होगी।
3. सुरक्षात्मक अवधारणा के तहत विशेष योग्यजनों के प्रति होने वाले

दुर्व्यवहार एवं उनके विरूद्ध किये जाने वाले क्रियाकलापों से उन्हें किसी प्रकार की हानि न हो इस हेतु उनको एवं उनके अभिभावक को समाज, समुदाय एवं राज्य द्वारा पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जायेगा।

5. विशेष योग्यजन नीति का प्रमुख उद्‌देश्य :–

विशेष योग्यजनो के कल्याण के लिए व्यापक नीति की रूपरेखा तैयार किया जाना, जिसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है–

1. सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में विशेष योग्यजनो को सम्मिलित करना।
2. समस्त सरकारी क्षेत्रों में विशेष योग्यजनो के कल्याण हेतु समेकित प्रबंध प्रणाली का विकास करना।
3. विशेष योग्यजन पुर्नवास सेवाओं का गठन एवं विस्तार करना।
4. विशेष योग्यजन क्षमता निर्माण हेतु कार्यनीति तैयार करना।
5. विशेष योग्यजनो के कल्याणार्थ लोक शिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना।
6. बालकों एवं महिलाओं के शोषण एवं दुराचार (दुर्व्यवहार) के प्रति संरक्षण उपलब्ध कराना।
7. सरकार एवं स्थानीय स्वशासन द्वारा विशेष योग्यजनों हेतु उचित बजट प्रावधान करना।

6. विशेष योग्यजन नीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त :–

विशेष योग्यजन नीति निम्न सिद्धान्तों की कार्यनीति पर आधारित है–

1. स्वप्रतिनिधित्व – जिसके तहत सरकारी कार्यनीतियों के लिए सूचना हेतु विशेष योग्यजन व्यक्तियों के सामूहिक संकल्प एवं ज्ञान का उपयोग करना।
2. समावेशन – विशेष योग्यजनो की आवश्यकताओं को प्रभावी तौर से, क्रियान्वयन हेतु इन्हें सरकारी कार्यक्रमों, सिद्धान्तों, कार्य नीतियों एवं समस्त क्रिया कलापों में सम्मिलित करना।

3. पोषणीयता – विशेष योग्यजन कल्याण की योजनाओं को सम्भाव्य लम्बी अवधि के वित्तिय स्त्रोतों के साथ एकीकृत करना।
4. गुणवता के लिए प्रतिबद्धता – विशेष योग्यजन व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता को पहचान कर स्वयं की जिम्मेवारी उठाने के साथ–साथ समाज में उनका योगदान प्राप्त करना।
5. निजी सार्वजनिक जनसहभागिता कार्यक्रमों में विशेष योग्यजनो के पुर्नवास का प्रयास करना।
6. विशेष योग्यजन कल्याण कार्यो में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका सुनिश्चित करना।

7. विशेष योग्यजन नीति का प्रयोजन :–

1. बाधा रहित योग्यता के आधार पर विशेष योग्यजनों को समान अवसर एवं उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कराना।
2. पूर्ण सहभागिता/अधिकार सुनिश्चित करना।
3. संसाधनों, सेवाओं एवं सुविधाओं के उपयोग के बाधा रहित पूर्ण अवसर विशेष योग्यजनों को उपलब्ध कराना।
4. नियोजन स्थल पर बाधारहित सुविधाऐं उपलब्ध कराना।
5. राज्य सरकार व्यापक विशेष योग्यजन विनियम बनाये जाने का उपबन्ध करें जिसमें उद्योग दर उद्योग, सैक्टर दर सैक्टर बनाये जाने का विकल्प हो ऐसे विनियमों के अधिनियमित किये जाने से पूर्व प्रभावित वर्ग (विशेष योग्यजन व्यक्तियों) से चर्चा कर उपयुक्त सुझाव सम्मिलित किये जायेगे।
6. राज्य सरकार उन कम्पनियों, व्यक्तियों और समुहों को शिक्षा एवं अन्य सूचना संसाधन उपलब्ध करायेगी जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की अपेक्षाओं के अनुपालन में आवश्यक हो।
7. विशेष योग्यजन व्यक्तियों हेतु नई ग्रह्य तकनीक, उच्च शिक्षा हेतु ब्रेल लिपि पाठ्य सामग्री एवं सेवाओं के विकास तथा वातावरण में सकारात्मक प्रयास करना।

8. स्थानीय स्वशासन द्वारा निधियन में कोई अनुदान या संविदा, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की पहुंच के भीतर होने पर ही अनुमत की जा सकेगी।
9. विशेष योग्यजन की विकृति निवारण हेतु त्वरित पहचान एवं रोकथाम हेतु अर्न्तराष्ट्रीय बाल अधिकार सम्मेलन और बिवाको सहस्त्राब्दि रूपरेखा के अनुरूप कार्य करना।

8. लक्षित समूह :–

यह नीति उन समस्त व्यक्तियों जिन्हें यू.एन.सी.आर.पी.डी. की परिभाषा के अनुसार सम्मिलित किया गया है और जिसको भारतीय संसद द्वारा 01 अक्टूबर 2007 को स्वीकार किया गया है कि विशेष योग्यजन व्यक्ति के रूप में पहचान ओर परिभाषित करती है। "लम्बे समय से ऐसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या ऐन्द्रिक निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति जो विभिन्न बाधाओं के कारण समाज में अन्य व्यक्तियों के मुकाबले समान आधार पर उनके सह संबंध में पूर्ण और प्रभावी सहभागिता में बाधा उत्पन्न कर सकती है"

9. नीति संबंधी दिशा निर्देश :–

1. मल्टी–सेक्टरल एकीकृत विशेष योग्यजन जागरूकता कार्यनीति जो जनसंचार के विविध माध्यमों से इस संदेश को विभिन्न समुदायों तक पहुंचाएगी।
2. विशेष योग्यजन विकृति पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रमों में एक समुचित पाठ्यचर्या का समावेश।
3. पत्रकारों और प्रसारणकर्ताओं के लिए "करूणा" और "नायकत्व" छवि के विपरीत विशेष योग्यजनता अधिकार संदेश और समस्त समूहों से अनुकरणीय उदाहरणों के सकारात्मक उपयोग को सम्मिलित करते हुए विशेष योग्यजन जागरूकता परियोजना का क्रियान्वयन।

4. सरकार के समस्त कृत्यकारियों में विशेष योग्यजन जागरूकता कार्यक्रम, सरकारी वृत्त, मीडिया और समाज में विशेष योग्यजन व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में वृद्धि करना।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में वंशानुगत विशेष योग्यजन विकृति के प्रति जागरूकता कार्यक्रम तैयार कर लागू करना।

10. विशेष योग्यजन नीति के प्रमुख सैक्टर :–

1. सामाजिक पक्ष, जिसमें समुदाय आधारित पुर्नवास, शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या, विधिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण आदि सम्मिलित है।
2. आर्थिक पक्ष, जिसमें नियोजन ओर आर्थिक सशक्तिकरण के साथ–साथ विशेष योग्यजनों के कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है।
3. सांस्कृतिक एवं राजनैतिक पक्ष, जिसमें सांस्कृतिक एवं सृजनात्मक क्रियाकलाप, खेलकूद, मनोरंजन के साथ–साथ लोक जीवन में विशेष योग्यजनों की सहभागिता सुनिश्चित करना है।
4. आधारभूत संरचना पक्ष के तहत् विशेष योग्यजनों को बाधा मुक्त पहुंच, आवासन एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना है।
5. विशेष क्षेत्रों में मरूस्थलीय क्षेत्र, विशेष योग्यजन विकृति से ग्रस्त बालिकाऐं/महिलाऐं, संकटग्रस्त अवस्था में विशेष योग्यजन व्यक्ति, मानसिक रूग्णता, संवेदनात्मक और बहु विशेष योग्यजनताग्रस्त के कल्याणार्थ कार्य योजना तैयार करना है।
6. अन्य पक्ष में, विशेष योग्यजनों को सुविधाऐं, सेवाएं, संसाधन उपलब्ध कराना, विशेष योग्यजन निवारण, अनुसंधान एवं विकास जैसे पक्षों को प्रमुखता दी गई है।

11. कार्यक्रम क्रियान्वयन और अनुपालना :–

व्यापक विशेष योग्यजन नीति रूपरेखा के समन्वय और क्रियान्वयन के बारे में निम्नलिखित संरचना की स्थापना की गई है।

- सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए क्रियान्वयन और कार्यक्रम विकास के पक्ष का ध्यान रखने के लिए प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय के अधीन एक पृथक रूपरेखा की स्थापना करेगी।

- **राज्य एकीकृत विशेष योग्यजन और पुनर्वास सेवा** का, सरकार के स्थायी उपकरण और साथ ही परामर्शदात्री संरचना के रूप में कृत्य करने के लिए समुचित अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसायटी/संस्थान गठित करेगी।
- यह निकाय राज्य विशेष योग्यजन आयुक्त द्वारा समर्थित होगा और उसके सामीप्य में कार्य करेगा।
- समस्त विद्यमान कार्यक्रम राज्य एकीकृत विशेष योग्यजन और पुनर्वास सेवा के रूप में सम्मिलित किये जायेगे।
- निकाय के आधारभूत कृत्य नीचे दिये जा रहे है।

राज्य एकीकृत विशेष योग्यजन और पुनर्वास सेवा के कृत्य निम्नलिखित हैं :—

1. व्यापक विशेष योग्यजन नीति रूपरेखा के क्रियान्वयन को विशेष योग्यजन आयुक्त के साथ मिलकर साकार बनाना, इसमें सहयोग देना और इसको मॉनीटर करना।
2. सरकार और समाज के बीच सम्पर्क उपलब्ध करवाना।
3. विशेष योग्यजन योजना के सहकार, क्रियान्वयन और वृहत्तर अभिसरण के लिए विभिन्न विभागों को मॉनीटर करने के लिए एक प्रबंधन प्रणाली का गठन करना।
4. जिला स्तर पर क्रियान्वयन संरचना की स्थापना करना, जिसके द्वारा प्रोग्रामिंग में सहयोग उपलब्ध करवाना, मॉनीटर करने के साथ–साथ विशेष योग्यजनता आयुक्त को अनुपालना रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।
5. विशेष योग्यजनता के मामले पर राजस्थान सरकार को सलाह उपलब्ध करवाना।
6. विस्तृत लोक शिक्षा और साथ ही विशेष योग्यजन आन्दोलन के लिए क्षमता निर्माण और सरकारी विभागों द्वारा व्यापक विशेष योग्यजन नीति रूपरेखा का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना।
7. विशेष योग्यजन, और विशिष्टतया विशेष योग्यजन व्यक्तियों के समेकन और सशक्तिकरण के प्रति समुचित संसाधन लक्षित करवाना। इस हेतु बजट विश्लेषण कर उचित बजट प्रावधान करवाना।

8. समुचित आनुभविक और क्रियाशील अनुसंधान करवाना और समुचित एम.आई.एस. के सृजन को सम्मिलित करते हुए विशेष योग्यजन का डाटा–बेस संधारित करना।
9. व्यापक विशेष योग्यजन नीति के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों के वित्तीय संसाधनों का संयोजन करना एवं उसकी पालना सुनिश्चित कराना।
   - राज्य में इस नीति और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर विनिर्दिष्ट संरचना गठित की जायेगी।
   - जिला स्तर पर पर्याप्त मानव संसाधन की अभिवृद्धि की जायेगी।
   - प्रत्येक जिले में विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ योजना संचालन हेतु एक अधिकारी को पदस्थापित किया जायेगा, जिसके पास पर्याप्त कर्मचारी होगें। कर्मचारी को सक्षम संगठन द्वारा पुनर्वास प्रबंधन में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा।

12. कार्यक्रम मॉनिटरिंग और अनुपालना :–

- राज्य विशेष योग्यजन आयुक्त का नीति के विभिन्न खण्डों और इसकी भावना की अनुपालना सुनिश्चित करने का प्रमुख उत्तरदायित्व होगा।
- राज्य विशेष योग्यजन आयुक्त का पद **प्रमुख शासन सचिव** स्तर रैंक का होगा।
- विशेष योग्यजन व्यक्तियों के मानवाधिकारों की स्वीकारोक्ति हेतु प्रभावी मानिटरिंग विशेष योग्यजन आयुक्त द्वारा की जावेगी।
- राज्य एकीकृत विशेष योग्यजन और पुनर्वास सेवा में प्रमुख सरकारी विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों एवं विशेषज्ञों की सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी।

13. सार्थकता :–

राज्य में विशेष योग्यजन नीति के प्रभावी होने से विशेष योग्यजनों को उनके सर्वांगीण विकास हेतु अवसर उपलब्ध हो सकेगें, जिससे वे अपनी क्षमताओं, योग्यताओं का पूर्ण उपयोग कर आत्मनिर्भर बन स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सकेगे।

ह0 अपाठ्य
उप निदेशक (वि.क.)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान–जयपुर